संख्या 1074 /54–1–11/8(11)/2011

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1– **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश परियोजना,
23 सी , गोखले मार्ग,
लखनऊ।

2– **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना,
117/एच–2/ 193 पाण्डुनगर,
कानपुर ।

3– **समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,**
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2011**

विषय–समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम **(आईडब्ल्यूएमपी)** के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत प्रथम बैच की परियोजनाओं का मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

भारत सरकार , ग्रामीण विकास मंत्रालय , भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के जनपदों हेतु समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियाजनायें स्वीकृत की गयी है । भारत सरकार द्वारा निर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परियोजनाओं का त्रिस्तरीय मूल्यांकन कराया जाना है । परियोजनाओं का प्रथम मूल्यांकन परियोजनाओं की लागत का 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात् किया जायेगा जिसके लिए पैरामीटर्स की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । मूल्यांकन कार्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान , बक्शी का तालाब लखनऊ , तथा नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, झॉसी से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । मूल्यांकन कार्य में हुये पारिश्रमिक का भुगतान उक्त संस्थाओ को भारत सरकार के डीपीएपी/ आईडब्ल्यूडीपी के मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानको के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी हेतु गठित स्टेट लेविल नोडल ऐजन्सी(एसएलएनए) के स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार के आदेश की प्रति संलग्न है ।

इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके सम्मुख अंकित जनपदों में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य किया जायेगा। संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह संस्थाओं के संबंधित विभागों से सम्पर्क करके वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रत्येक दशा में दिनांक 5.11.2011 तक पूर्ण करायें यदि कोई संस्था मूल्यांकन कार्य करने में असमर्थ है तो उसे शासन के संज्ञान में लाने का कष्ट करें । मूल्यांकन रिपोर्ट की दो प्रतियॉ तथा मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल की दो प्रतियॉ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगें ।